वाहन महारैली के बैनर का विमोचन

झुंझुनूं, (निसं)। सर्वसमाज एवं माली सैनी समाज संस्था झुंझुनूं द्वारा 11 अप्रेल को आयोजित की जाने वाली फुले अंबेडकर वाहन महारैली के बैनर का विमोचन शुक्रवार को सूचना सभागार परिसर में हुआ। इस समारोह में समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भाम्बू, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारीलाल सैनी, पूर्व सांसद व भाजपा की प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और समाजसेवी मौजूद रहे। माली सैनी समाज संस्था के जिलाध्यक्ष महेंद्र शास्त्री ने बताया कि यह भव्य वाहन रैली महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित की जाएगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में जनजागृति पैदा करना, फुले अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करना तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में माली सैनी समाज संस्था के संरक्षक मुरारी सैनी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया, महामंत्री रतनलाल सैनी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सैनी, पिलानी ब्लॉक अध्यक्ष देवकरण सैनी, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रवि सैनी नवलगढ, सैनी कर्मचारी अधिकारी संस्था के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश धूपिया, पंचायत समिति सदस्य दिनेश कायस्थपुरा सहित कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे।

'सुशासन, विकास और समर्पण ही प्रदेश की सरकार की विचारधारा है'

■ 'समृद्ध और विकसित प्रदेश की राह पर राजस्थान'

चूरू (निसं)। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा है कि सुशासन, विकास और समर्पण ही प्रदेश की भजनलाल सरकार की विचारधारा है। जिला प्रमुख वंदना आर्य शुक्रवार को राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष में आयोजित किया जा रहे सप्ताहिक समारोह अंतर्गत जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में आयोजित सुशासन एवं विकास उत्सव में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य अतिथि में भीलवाड़ा में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से जिला स्तरीय कार्यक्रम वीसी के जरिए जुड़ा रहा।

इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्यौल, एडीएम अर्पिता सोनी सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। एडीएम अर्पिता सोनी व सांख्यिकी उपनिदेशक डॉ. आरजी सेपट ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सुविधाओं व जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सरकार समग्र प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गति तीव्र हुई है। उन्होंने कहा कि हम सभी सुशासन की अवधारणा को साकार करने के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़े। जिला उप प्रमुख महेन्द्र न्यौल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का सभी वंचित व पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचे। इसके लिए हम सभी स्थानीय स्तर पर सजग प्रयास करें। सरकार का सुशासन व विकास का संकल्प हम सभी मिलकर पूरा करें।

पंच गौरव पुस्तिका का किया विमोचन:- सुशासन एवं विकास उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला उप प्रमुख महेन्द्र न्यौल, एडीएम अर्पिता सोनी, डीएफओ वीरेन्द्र कृष्णिया, सांख्यिकी उपनिदेशक डॉ. आरजी सेपट, सीपीओ भागचंद खारिया, जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापत, आत्मा परियोजना निदेशक राजकुमार कुल्हरि, उद्योग महाप्रबंधक उजाला सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन किया। उपनिदेशक सेपट ने बताया कि पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले की विरासत एवं पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पंच गौरव के रूप में एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति के रूप में खेजड़ी, एक जिला-एक पर्यटन स्थल के रूप में सालासर बालाजी मन्दिर, एक जिला-एक उपज के रूप में ग्वारपाठा, एक जिला एक खेल के रूप में एथलेटिक्स, एक जिला-एक उत्पाद में वुडन उत्पाद चिन्हित किये गए हैं।

समृद्ध और विकसित प्रदेश की राह पर राजस्थान:- प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान समृद्ध और विकसित प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी कल्याणकारी नीतियों में अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए संकल्पबद्ध है। हम अपने घोषणा पत्र में शामिल नीतियों व योजनाओं को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारने का काम करेंगे।

प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों को हेल्थ कवरेज (आरजीएचएस) योजना का विमोचन किया तथा यूडीएच, एलएसजी व राजस्व विभाग द्वारा डेलिगेशन के ऑर्डर, पं.दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, उप पंजीयक कार्यालय का समय सप्ताह में दो दिन सवेरे 8 बजे से सांय 8 बजे तक करने, फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के आदेश, अन्नपूर्णा भंडार के दिशा-निर्देश, जल जीवन मिशन (शहरी) के दिशा-निर्देश, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली 150 यूनिट मुफ्त बिजली के दिशा-निर्देश, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम के दिशा-निर्देश, मा योजना के तहत न्यू पैकेज व नेत्र वाउचर स्कीम के निर्देश, हरित अरावली विकास परियोजना के निर्देश, नए जिलों में डीएमएफटी गठन के आदेश, विधायक जन सुनवाई केन्द्र के संबंध में दिशा-निर्देश, भवन निर्माण उपनियम, चिकित्सा एप्प लॉन्चिंग, ई-वर्क पोर्टल व ई-वर्क मोबाइल एप्प लॉन्चिंग, राजस्थान सम्पर्क 2.0 परियोजना का शुभारंभ किया।

सम्मान समारोह 14 को

सीकर (निसं)। सामाजिक न्याय के हिमायती, समतामूलक समाज के प्रेणता, द सिम्बल ऑफ़ नॉलेज बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जयन्ती के उपलक्ष में प्रतिभा सम्मान समारोह 14 अप्रैल सुबह 10 बजे अम्बेडकर सर्किल, सीकर पर आयोजित किया जायेगा। जानकारी देते हुए मोहन बाजोर ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, नीट, जेईई, एलएलबी व समकक्ष डिग्री में विशेष योग्यता, राजकीय सेवाओं में चयनित, रक्तदान, अंगदान, देहदान करने वाले, खेल में जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सम्मान होगा।

रोजगार सहायता शिविर आज

चूरू (निसं)। रोजगार सेवा निदेशालय राजस्थान, जयपुर के दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान दिवस के उपलक्ष में जिला रोजगार कार्यालय की ओर से शनिवार 29 मार्च को सवेरे 10 बजे जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में बेरोजगार युवाओं के लिए एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर व कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जाएगा। रोजगार सहायक निदेशक वर्षा जानू ने बताया कि शिविर में जिले के 8वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त शिक्षित बेरोजगार आशार्थियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू (राज.)

क्रमांकःएफ.34 (1)()निर्वा/नपा/वार्ड पुन./378 दिनांक :- 27.03.2025

-:आपत्ति आमंत्रण सूचना:-

स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांकः एफ. 10()चुनाव/जन/स्वाशा./2024/1624 दिनांक 13.02.2025 2301-41 दिनांक 19.02.2025 एवं 5651-5690 दिनांक 18.03.2025 में दिये निर्देशानुसार नगरीय निकायों में नगर परिषद/नगरपालिका में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगरपालिका राजलदेसर के 35 वार्डो का परिसीमन होना है। वार्डो के परिसीमन उपरान्त प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया जाना है। उक्त अधिसूचना की पालना में नगरपालिका राजलदेसर में 35 वार्डों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिनके सीमांकन का वार्डवार विवरण निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किया गया है :-

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय नगरपालिका राजलदेसर

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 27.03.2025 को नगरपालिका राजलदेसर के वार्डो का प्रारूप प्रकाशन किया जाता है तथा नवगठित वार्डो के पुर्नगठन एवं परिसीमन से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28.03.2025 से 17.04.2025 तक कार्यालय नगरपालिका राजलदेसर/उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते है।

(अभिषेक सुराणा)
जिला कलक्टर, चूरू

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

वरि.मंडल बिजली इंजीनियर/सामान्य,उ.प. रेलवे बीकानेर, भारत के राष्ट्रपति के वास्ते व उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित करते है। **1. सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का पता : http://www.ireps.gov.in 2. ई-निविदाएं बंद होने की तिथि व समय : 14.04.2025** को 15.00 बजे तक **3. ई-निविदाएं खोलने की तिथि व समय : 14.04.2025** को 15.00 बजे के बाद **निविदा सं.:** 09-इलेक्ट/बीकेएन/ई-निविदा/2024-25आर **कार्य का विवरण** : Electrical work in connection with upgradation/modernization of infrastructure at Sirsa Goods Shed and Raman Goods Shed over Bikaner Division and electrical work in connection with expansion of traffic facilities in RKK (Ratangarh Kanakwal) yard for smooth movement of HMEL traffic. **अनुमानित लागत** : ₹ 71,02,676.20/- **धरोहर राशि** : ₹ 1,42,100/- **निविदा दस्तावेज लागत** : Nil **निविदा सं.:** 11-इलेक्ट/बीकेएन/ई-निविदा/2024-25आर **कार्य का विवरण** : Electrical work in c/w provision of tool room cum rest room 26 nos. in jurisdiction of ADEN-I/HMH, 26 nos. in the jurisdiction of ADEN/RTGH & 209 nos. over BKN division. **अनुमानित लागत** : ₹ 72,70,253.00/- **धरोहर राशि** : ₹ 1,45,400/- **निविदा दस्तावेज लागत** : Nil

364-DR/25

हमें /NWRailways /NWRailways पर फॉलो करें

सांसद का पुतला जलाकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी उपखंड कार्यालय के सामने शुक्रवार को राणा सांगा पर सपा सांसद द्वारा टीप्पणी करने को लेकर सर्व समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला जलाकर एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह फौजी ने कहा कि राज्यसभा मेंपार्टीयो द्वारा अपने विचार रखे जा रहे थे। इस दौरान समाजवादी सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से पराक्रमी योद्धा महाराणा सांगा को लेकर की गई टिप्पणी घृणित एवं संविधान विरोधी सोच को दर्शाता है। देश के सांसद की ओर से वीर योद्धा पर की टिप्पणी से देश के लोगों में काफी रोष है, जबकि सांसद द्वारा देश के लोगों से माफी मांगने की बजाय अपनी बात पर अड़े हुए है। सांसद केब्यानसे बाबा महाराणा सांगा के सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से सदन की कार्रवाई में इस तरह की भाषा पर रोक लगाने, सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से माफी मांगने तथा संसद से इस्तीफा देने की मांग की। समाजवादी पार्टी की मानसिकता देश के सामने आ रही है, उनके इस बयान से लोगों में काफी आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने बताया कि यदि केंद्र सरकार ने मामले में जल्द कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो सर्व समाज के लोग सडकों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर जिप सदस्य उम्मेद सिंह निर्वाण, मोहन सिंह, विजय सिंह, नरेंद्र सिंह, मोहर सिंह, सुभाष कुमावत, पूर्व सरपंच वीर सिंह, सीताराम कुमावत, पवन सिंह, पाबुदान सिंह, महेंद्र सिंह, विजय सिंह, अजीत सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे।

विश्व उपभोक्ता सप्ताह का समापन

सीकर (निसं)। विश्व उपभोक्ता सप्ताह का समापन समारोह जिला परिषद सभागार में जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल तथा एडवोकेट सत्यनारायण सिखवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उपभोक्ता सप्ताह का आयोजन 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक किया गया। "बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में लोकपाल की भूमिका" पर कार्यक्रम में संगोष्ठी वार्ता हुई। मुख्य वक्ताओं में बैंक अधिकारी सुभाष कटियार ,बीमा अधिकारी चेतन कुमार, व्यापार संघ के अध्यक्ष महावीर चौधरी, जिला बाल कल्याण समिति सदस्य बिहारी लाल बालान, कंज्यूमर कनफेडरेशन ऑफ़ इंडिया (सीसीआई) की सीकर जिला अध्यक्ष तृप्ति त्रिपाठी, एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा आदि थे। उपभोक्ता सप्ताह के समापन के अवसर पर उपभोक्ता जागरण के क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाने वालों को जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध-प्रदर्शन

चूरू (निसं)। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आव्हान पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग के नेतृत्व में किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा वादाखिलाफी करते हुए किसान आंदोलन को कुचलने, किसान नेताओं को वार्ता के नाम पर जेल में बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया।

ज्ञापन के माध्यम से जिला अध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को स्थगित करने के लिए किसानों की छः सूत्री मांगों को लेकर लिखित में आश्वासन दिया था, जो आज तक लागू नहीं किया तथा ना ही उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही की। सिहाग ने बताया कि केन्द्र सरकार अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते को तुरंत बंद करें तथा केंद्र व राज्य सरकार एन पी एफ ए एम केंद्रीय नीति प्रस्ताव को खारिज कर इसे लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित करें। केंद्र सरकार सभी फसलों के लिए सी 2 50 फीसदी पर एम एस पी घोषित कर खरीद का गारंटी कानून बनाने व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के साथ किसानों और मजदूरों की सम्पूर्ण कर्ज माफी करें तथा कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों की वृद्धि बंद करें तथा स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को वापस लेकर किसानों को कृषि हेतु मुफ्त बिजली देने व घरेलू विद्युत उपभोग के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली प्रदान करने सहित अनेक मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ किसान नेता हरफूल सिंह भांबू व जाट महासभा के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह कस्वां ने भी विचार व्यक्त किये।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 34/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा निवासी बलवन्तपुरा, बेलासी, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत मंदिर श्री रघुनाथ जी सेवा ट्रस्ट, ग्राम बलवन्तपुरा, बेलासी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 02.06.2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू (राज.)

क्रमांकःएफ.34 (1)()निर्वा/नपा/वार्ड पुन./362 दिनांक :- 27.03.2025

-:आपत्ति आमंत्रण सूचना:-

स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांकः एफ. 10()चुनाव/जन/स्वाशा./2024/1624 दिनांक 13.02.2025 2301-41 दिनांक 19.02.2025 एवं 5651-5690 दिनांक 18.03.2025 में दिये निर्देशानुसार नगरीय निकायों में नगर परिषद/नगरपालिका में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगरपालिका रतननगर के 20 वार्डो का परिसीमन होना है। वार्डो के परिसीमन उपरान्त प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया जाना है। उक्त अधिसूचना की पालना में नगरपालिका रतननगर में 20 वार्डों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिनके सीमांकन का वार्डवार विवरण निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किया गया है :-

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, चूरू
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय नगरपालिका रतननगर

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 27.03.2025 को नगरपालिका रतननगर के वार्डो का प्रारूप प्रकाशन किया जाता है तथा नवगठित वार्डो के पुर्नगठन एवं परिसीमन से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28.03.2025 से 17.04.2025 तक कार्यालय नगरपालिका रतननगर/उपखण्ड अधिकारी, चूरू में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते है।

(अभिषेक सुराणा)
जिला कलक्टर, चूरू

चूरू संसदीय क्षेत्र की 44 हजार वंचित घरों की ढाणियों में पहुंचेगी बिजली

■ सांसद कस्वां के लगातार प्रयास और मॉनिटरिंग से चूरू संसदीय क्षेत्र को आरडीएसएस में बड़ा बजट मिला

चूरू (निसं)। चूरू संसदीय क्षेत्र के लिये सांसद राहुल कस्वां बडी सौगात लेकर आये हैं। चूरू संसदीय क्षेत्र में ढाणियों में स्थित 44 हजार से अधिक घरों में बिजली पहुंचाने का सपना अब साकार होगा। सांसद राहुल कस्वां ने बताया कि आरडीएसएस के तहत्त जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिये कुल 1108 करोड रू से अधिक का बजट जारी किया गया है जिसमें से चूरू संसदीय क्षेत्र को लगभग 320 करोड मिलेंगे और वंचित ढ़ाणियां विद्युत से रोशन होंगी।

सांसद ने बताया कि हमने 10 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण राजस्थान में पहली डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक चूरू में कर वंचित ढ़ाणियों के आवेदन लेने की व्यवस्था करवाई। इसी प्रकार 23 जनवरी 2023 को हनुमानगढ़ में डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक में विद्युत से वंचित ढ़ाणियों के आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करवाई। वंचित ढ़ाणियों के आवेदनों की पूरी सूची तैयार प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाया कर हर सक्षम स्तर पर लगातार आवाज उठाई। जिसके बाद पहले चरण में लगभग 6000 ढ़ाणियों में विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत करवाया, इसका कार्य वर्तमान में धरातल पर चल रहा है।

सांसद कस्वां ने बताया कि आवेदनों के अनुसार जिस प्रकार से बड़ी संख्या में वंचित ढ़ाणियों की संख्या निकलकर आई, उसके बाद हमने हमारे प्रयासों को ओर तेज करते हुए इस सम्बन्ध में लगातार आवाज उठाई और समय समय पर इस सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ मिटिंगे करते हुए सभी वंचित ढ़ाणियों तक बिजली की व्यवस्था करने की आवाज उठाई। 19 दिसम्बर 2024 को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव से मुलाकात कर सभी वंचित ढ़ाणियों में बिजली पहुंचाने के लिये कहा। तब केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने उच्चाधिकारियों को चूरू भेजकर इस विषय पर काम करने का आश्वासन दिया और विगत फरवरी माह में आरडीएसएस व डिस्कॉम के उच्चाधिकारी चूरू आये जिनके साथ हमने बैठक कर सभी वंचित ढ़ाणियों का संसोधित प्रस्ताव भिजवाने के लिये कहा। विगत 17 जनवरी को दिल्ली में आयोजित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर व समस्त अधिकारियों के समक्ष वंचित ढ़ाणियों तक बिजली पहुंचाने की बात को प्रमुखता से उठाया।

हमने कहा कि विद्युत से वंचित ढ़ाणियों की संख्या लगातार बढती जा रही है और आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे लोगों को अंधेरे में रहना पड रहा है। अतः संसदीय क्षेत्र की सभी वंचित ढ़ाणियों को बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी अत्यंत आवश्यक है। तब केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए वंचित ढ़ाणियों के लिये बजट स्वीकृति की बात कही।

हमने हमारे प्रयास लगातार जारी रखे और विगत 8 फरवरी को चूरू जिला मुख्यालय पर आरडीएसएस की रिव्यू मिटिंग में राजस्थान चीफ इंजीनियर सहित जोधपुर डिस्कॉम के उच्चाधिकारियों से वंचित ढ़ाणियों के संशोधित प्रस्ताव पुनः भारत सरकार को भिजवाने के लिये कहा।

प्रयासों के बाद अब ये अच्छी खबर निकलकर आई है और 1108 करोड़ का बजट डिस्कॉम को ढ़ाणियों में विद्युतीकरण के लिये मिला है जिसमें से बड़ा हिस्सा लगभग 320 करोड़ रू. चूरू संसदीय क्षेत्र को मिला है। ढ़ाणियों में बिजली के लिये हर रोज किसान भाई सूचित करते रहते हैं तो हमने इस पर मिशन मोड में काम किया और आज ये मुद्दा अंजाम तक पहुंचा है और 1108 करोड़ रू के बजट के स्वीकृत होने से अब हमारी वंचित ढ़ाणियां रौशन होंगी और किसान भाईयों को लाभ मिलेगा।

सांसद कस्वां ने बताया कि सरकार की हर योजना का बारिकी से अध्ययन करने के बाद हम उस पर कार्यवाही करते हैं। आरडीएसएस योजना आई तो हमने राजस्थान में सर्वप्रथम बैठक कर पूरी कार्ययोजना तैयार की।

सभी ब्लॉक पर वंचित ढ़ाणियों के आवेदन लेने के बाद संसदीय क्षेत्र की वंचित ढ़ाणियों की सूची तैयार कर भारत सरकार को सौंपी और लगातार लक्ष्योन्मुखी प्रयास करते रहे, जिसके चलते ये बड़ी सौगात मिली है। जोधपुर डिस्कॉम में चूरू संसदीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा बजट प्राथमिकता से हम लेकर आए हैं जिसका फायदा हमारे ढ़ाणियों में रहने वाले किसान भाई-बहनों को मिलेगा।

बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान

सीकर (निसं)। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड से खत्म करने के उद्देश्य से बाल कल्याण समिति और गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त प्रयास से एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंकुर बहड़, सदस्य बिहारी लाल बालन, प्रोबेशन ऑफिसर प्रमिला कुमारी (राजकीय किशोर गृह), छात्रावास अधीक्षक रेखा कुमारी और गायत्री सेवा संस्थान के नरेश कुमार सैनी मौजूद रहें। उन्होंने बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर चर्चा की और समुदाय से इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सहयोग की अपील की। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंकुर बहड ने कहा, "बाल विवाह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 35/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री विशाल महला पुत्र श्री भागीरथ सिंह महला निवासी बी-6, जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत ऑल इण्डिया एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राईवेट इन्स्टीटयूशन्स बी-5, तोदी नगर, तहसील व जिला सीकर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 02.06.2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू (राज.)

क्रमांकःएफ.34 (1)()निर्वा/नपा/वार्ड पुन./366 दिनांक :- 27.03.2025

-:आपत्ति आमंत्रण सूचना:-

स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांकः एफ. 10()चुनाव/जन/स्वाशा./2024/1624 दिनांक 13.02.2025 2301-41 दिनांक 19.02.2025 एवं 5651-5690 दिनांक 18.03.2025 में दिये निर्देशानुसार नगरीय निकायों में नगर परिषद/नगरपालिका में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगरपालिका राजगढ़ के 40 वार्डो का परिसीमन होना है। वार्डो के परिसीमन उपरान्त प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया जाना है। उक्त अधिसूचना की पालना में नगरपालिका राजगढ़ में 40 वार्डों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिनके सीमांकन का वार्डवार विवरण निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किया गया है :-

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय नगरपालिका राजगढ़

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 27.03.2025 को नगरपालिका राजगढ़ के वार्डो का प्रारूप प्रकाशन किया जाता है तथा नवगठित वार्डो के पुर्नगठन एवं परिसीमन से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28.03.2025 से 17.04.2025 तक कार्यालय नगरपालिका राजगढ़/उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते है।

(अभिषेक सुराणा)
जिला कलक्टर, चूरू

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू (राज.)

क्रमांकःएफ.34 (1)()निर्वा/नपा/वार्ड पुन./372 दिनांक :- 27.03.2025

-:आपत्ति आमंत्रण सूचना:-

स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांकः एफ. 10()चुनाव/जन/स्वाशा./2024/1624 दिनांक 13.02.2025 2301-41 दिनांक 19.02.2025 एवं 5651-5690 दिनांक 18.03.2025 में दिये निर्देशानुसार नगरीय निकायों में नगर परिषद/नगरपालिका में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगर परिषद सुजानगढ़ के 60 वार्डो का परिसीमन होना है। वार्डो के परिसीमन उपरान्त प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया जाना है। उक्त अधिसूचना की पालना में नगर परिषद सुजानगढ़ में 60 वार्डों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिनके सीमांकन का वार्डवार विवरण निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किया गया है :-

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 27.03.2025 को नगर परिषद सुजानगढ़ के वार्डो का प्रारूप प्रकाशन किया जाता है तथा नवगठित वार्डो के पुर्नगठन एवं परिसीमन से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28.03.2025 से 17.04.2025 तक कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़/उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ में लिखित रूप में प्रस्तुत